

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

संशोधित आदेश


राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक प.7(2)(10)पंचा/रानिआ/2018/3653 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा सूचित किया है कि आयोग के पत्र क्रमांक 3622 दिनांक 22.10.2018 से राज्य की पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उपचुनाव अक्टूबर, 2018 के लिये मतदान एवं मतगणना का कार्य आगामी आदेशों तक स्थगित किये जाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.10.2018 को जारी सूखा दिवस के आदेश को एतद्वारा प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

आज्ञा से,


(ऑंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.7(2)(10)पंचा/रानिआ/2018/3653 दिनांक 23.10.2018 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर.....
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.....
10. जिला आबकारी अधिकारी.....
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव